

पत्र सं-

महानिदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्थ
उ०प्र० लखनऊ।

सेवा में

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्र सं०-11फ/कैम्प-83/16

लखनऊ दिनांक 17 मई, 2020

विषय-प्रदेश में कोविड-19 की महामारी के कारण निजी चिकित्सा इकाईयों, नर्सिंगहोम्स आदि के रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण की अवधि बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक कृपया महानिदेशालय के पत्र संख्या-11फ/कैम्प-8177, दिनांक 16.04.2020 जिसके द्वारा प्रदेश में जनपद स्तर पर निजी चिकित्सा इकाईयों, नर्सिंगहोम्स आदि के रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण में कोविड-19 के दृष्टिगत पूर्व में कराया गया रजिस्ट्रेशन दिनांक 30.06.2020 तक मान्य किये जाने आदेश निर्गत किये गये थे।

2- उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में आज दिनांक 14.05.2020 को शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प०क०, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 14.05.2020 को आहूत बैठक में सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश में कोविड-19 की महामारी के दृष्टिगत निजी चिकित्सा इकाईयों, नर्सिंगहोम्स आदि के लिए पूर्व में कराये गये रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण को दिनांक 30.06.2020 तक किये जाने की अवधि को 06 माह अर्थात् दिनांक 31.12.2020 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(रुकुम केश)

महानिदेशक

पत्र सं०-11फ/कैम्प-

तद्दिनांक:

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प०क०, उ०प्र० शासन।
2. विशेष सचिव, उ०प्र०, चिकित्सा अनुभाग-1, 5 एवं 6
3. निदेशक(संचारी रोग), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्थ, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
4. स्टाफ आफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्थ, उ०प्र०, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
6. अध्यक्ष/सचिव आई०एम०ए०/नर्सिंग होम एसोशिएसन, उ०प्र०, लखनऊ।
7. समस्त जिला इकाई, अध्यक्ष/सचिव, आई०एम०ए०/नर्सिंग होम एसोशिएसन, उ०प्र०-द्वारा संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ०प्र०।

(राकेश कुमार)

अपर निदेशक(चिकित्सा उपचार)